

न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी
पीठासीन अधिकारी-श्री समदर सिंह भाटी, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 53/2023

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

1. निम्बाराम पुत्र भीखाराम 2. वेहनाराम पुत्र भीखाराम जाति राईका निवासी शिवनगर, टाकूबेरी बहसील सिणधरी, बालोतरा।	1. केहराराम पुत्र मुकनाराम 2. शैम्पुराम पुत्र मुकनाराम 3. कबु पुत्री बींजाराम 4. कुसुम पुत्री बींजाराम 5. जगदीश पुत्र बींजाराम 6. पपूराम पुत्र बींजाराम 7. प्रियका पुत्री बींजाराम 8. पारुदेवी पत्नी बींजाराम 9. पार्वती पत्नी केहराराम जाति राईका निवासी शिवनगर, टाकूबेरी बहसील सिणधरी, बालोतरा। 10. शा.प्र. राजस्थान मरुधरा ग्रा. बैंक शाखा सिणधरी। 11. तहसीलदार सिणधरी।
--	---

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति-

1. श्री अमराराम चौधरी, अधिवक्ता वादी की ओर से उपस्थित।
2. प्रतिवादीगण सं. 11 के पैरोकार उपस्थित शेष एकतरफा।

निर्णय

दिनांक- 16.10.2025

संक्षिप्त में वादपत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि मौजा- शिव नगर, टाकू पटवार मण्डल कमठाई तहसील सिणधरी जिला बालोतरा खेत खसरा सं. 107 रकबा 18.2510 हैक्टेयर के संबंध में प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 18.12.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सिणधरी को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड बिल्डिंग विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था।


तहसीलदार सिणधरी द्वारा आदेश की पालना में न्यायालय द्वारा पारित माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तहसील सिणधरी में अवस्थित भूमि के मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध कराया। जिसे वादी अधिवक्ता की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार भी किया गया।

elronk
सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी


लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा- शिव नगर, टाकू
 पटवार मण्डल कमठाई तहसील सिणधरी जिला बालोतरा खेत खसरा सं. 107 रकबा 18.2510
 हैक्टेयर भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	ग्राम	खसरा नं.	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान	बरंग
1.	निम्बाराम पुत्र भीखाराम जाति राईका सा. देह खातेदार रहन पूर्ण खाता RMGB शाखा सिणधरी।	शिवनगर टाकू	107	2.9003	बा.सो.	0.15	हरा
			107	1.6180	बा.सो.	0.08	
		कुल	2	4.5183	बा.सो.	0.23	
2.	वेहनाराम पुत्र भीखाराम जाति राईका सा. देह खातेदार रहन पूर्ण खाता RMGB शाखा सिणधरी।	शिवनगर टाकू	107	3.5717	बा.सो.	0.18	नीला
			107	0.9465	बा.सो.	0.04	
		कुल	2	4.5182	बा.सो.	0.22	
3	कबु पुत्री बीजाराम हि. 1/18 कुसुम पुत्री बीजाराम हि. 1/18 केहराराम पुत्र मुकनाराम हि. 1/3 जगदीश पुत्र बीजाराम हि. 1/18 पपुराम पुत्र बीजाराम हि. 1/18 प्रियका पुत्री बीजाराम हि. 1/18 पारुदेवी पत्नि बीजाराम हि. 1/18 पार्वती पत्नि केहराराम हि. 73/564 शैम्भूराम पुत्र मुकनाराम हि. 115/564 जाति राईका सा. देह खातेदार रहन शैम्भूराम का संपूर्ण हि. RMGB शाखा सिणधरी।	शिवनगर टाकू	107	9.0365	बा.सो.	0.45	पीला
4	रास्ता हेतु प्रस्तावित भूमि	शिवनगर टाकू	107	0.1780	गै.मु. रास्ता		लाल

तहसीलदार सिणधरी को आदेशित किया जाता है, कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।


 सहायक कलक्टर
 (एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 16.10.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


 सहायक कलक्टर
 (एस.डी.ओ.)सिणधरी

मूल वाद म डिका
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी
पीठासीन अधिकारी:— श्री समदर सिंह भाटी, आर.ए.एस.

उनवान


वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. निम्बाराम पुत्र भीखाराम 2. वेहनाराम पुत्र भीखाराम जाति राईका निवासी शिवनगर, टाकूबेरी बहसील सिणधरी, बालोतरा।	टाकूबेरी	1. केहराराम पुत्र मुकनाराम 2. शैम्पुराम पुत्र मुकनाराम 3. कबु पुत्री बीजाराम 4. कुसुम पुत्री बीजाराम 5. जगदीश पुत्र बीजाराम 6. पपूराम पुत्र बीजाराम 7. प्रियका पुत्री बीजाराम 8. पारुदेवी पत्नी बीजाराम 9. पार्वती पत्नी केहराराम जाति राईका निवासी शिवनगर, टाकूबेरी बहसील सिणधरी, बालोतरा। 10. शा.प्र. राजस्थान मरुधरा ग्रा. बैंक शाखा सिणधरी। 11. तहसीलदार सिणधरी।

दावा बाबत:— 53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर :- 53/2023

निर्णय दिनांक :- 16.10.2025

वादीगण की ओर से श्री अमराराम चौधरी अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 11 की ओर राज. पैरोकर की उपस्थिति एवं शेष की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 16.10.2025 को श्री समदर सिंह भाटी (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी सिणधरी के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:— वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 16.10.2025 में अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से घोषित की जाती है। तहसीलदार सिणधरी को आदेश दिये जाते हैं, कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज तारीख 16.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. _____ रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2. अर्जी के लिए स्टाम्प 3. प्लीडर की फीस 4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5. आदेशिका की तामिल 6. कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	